



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 जुलाई 2026— आषाढ़ 13, शक 1948

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2026

क्रमांक E/BCM/0005/2026-Sec-54-2:: वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित-2025) की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 14 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का नाम निर्दिष्ट उपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा वक्फ बोर्ड का निम्नानुसार गठन करता है:-

क्र.	नाम व पता	-	पद
01	डॉ. सनवर पटेल 15/2, खुदीराम बोस मार्ग, उज्जैन	-	अध्यक्ष
02	श्रीमती नजमा हेपतुल्ला 16 तीन, मूर्तिलेन, नई दिल्ली	-	सदस्य
03	श्री आतिफ अकील विधायक, भोपाल(उत्तर) 54, लक्ष्मी टॉकीज रोड के पास, जुमेराती, भोपाल	-	सदस्य
04	श्री फैजान खान 20, हरिफाटक महाकाल रोड, उज्जैन	-	सदस्य
05	बहन फातेमा चौधरी स्कीम नं. 102, मणिकबाग रोड हलीमा पैलेस, फ्लैट न. 301, इंदौर	-	सदस्य
06	श्रीमती शाइस्ता सुल्तान, पार्षद बैरसिया, भोपाल	-	सदस्य
07	श्रीमती शबाना खान, पार्षद रतलाम	-	सदस्य

08	श्री मनोज मालपानी, इंदौर	-	सदस्य
09	श्री अनिमेश भार्गव, राघौगढ़, गुना	-	सदस्य
10	आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	-	सदस्य

नोट - श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, वक्फ अधिनियम, 1995 (यथा संशोधित, 2013) की धारा 14 के अंतर्गत दिनांक 19.04.2023 की अधिसूचना द्वारा निर्वाचित श्रेणी से नियुक्त सदस्य। इनका कार्यकाल दिनांक 18.04.2028 तक प्रभावी है अतः इनका नाम नवीन अधिसूचना में शेष कार्यकाल के लिए सम्मिलित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिनेश सिंह तोमर, उपसचिव.